अभिलेखागार अनुभाग कलक्ट्रेट आगरा

10 on
/ 1

न्यायालय उपजिलाधिकारी फतेहाबाद जिलाआगरा

वादसं0 05/10-11 धारा- 143 ज0वि0एवंभू0व्य03धि0

शान्ती जनचेतना समितिग्राम वांगुरी तहसील फतेहाबाद, अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासीवांगुरी व राजेश कुमार यजुवेन्द्र सिंह पुत्रगण भानुप्रताप सिंह निवासी वाँगुंरी तहसील फतेहाबाद जिलाआगरा ।

बनाम

उत्तरप्रदेश सरकार — मौजा वाकंलपुर तहसील फतेहाबाद जिलाआगरा।

छायाप्रति नकल **आदेश** दि0 - 17-2-11

शान्ती जनचेतना समिति ग्राम वांगुरी तहसीलफतेहाबादजिलाआगरा अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह नि0 वांगुरी व राजेश कुमार ,यजुवेन्द्र सिंह पुत्रगण भानुप्रताप सिंह नि0 वाँगुरी तहसील फतेहाबाद जिलाआगराद्वारा मौजा वाकलपुर तहसील फतेहाबाद के खातासंख्या 69 के गाटासंख्या150 रकवा 2.060हे0लगान 66.30 सालाना भूमि में से रकवा 2.060हे0 भूमि को धारा 143 ज0वि0एवंभू0व्यव03धि के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार फतेहाबाद से जाँचोपरान्त आख्या माँगीगयी। लेखपाल व राजस्व निरीक्षक शमशाबाद द्वाराप्रेषित कीगयी जाँच आख्यादिनांक 7=9-10 व तहसीलदार फतेहाबाद की आख्यायें क्रमशः दिनांक7-9-10 व 14-2-11 में उल्लिखित कियागया है कि प्रार्थीगण मौजा वाकलपुर के खातासंख्या69 के गाटासंख्या150 रकबा 2.060 भूमि के संक्रमणीयभूमिधर काबिज व दखील है। उक्त भूमि में महाविद्यालय स्थापित है,जिसका निर्माणकार्य प्रारम्भ होगया है।उक्त भूमि आवादी केप्रयोग में लाई जारही है,। उक्तभूमि में कोईकृषि कार्य नही होरहा है और न ही वृक्षारोपण मत्स्यपालन ,कुककुटपालन आदि कार्य होरहा है। उक्तभूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित कीगयी है। अपनी उक्त आख्याके साथ नजरीनक्शा व तालिका उ0प्र0ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0 1950 के नियत 135(1) व शपथपत्र एवं खसरा खातौनीभी संलग्न की गयी है। तथा फोटो डा0बी0पी0एस0डिग्रीकालेज के प्रस्तुत कीगयी है। तहसीलदार फतेहाबादकी उक्त आख्याके आधारपर वाद इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टरकियागया।

मैनें पत्रावली काअवलोकनकिया तथा तहसीलदारफतेहाबादकी आख्या दिनांक14-2-11 व अन्य अभिलेखों का सत्यापन कियागया। तहसीलदार फतेहाबाद की आख्यानुसार प्रार्थीगणकीउक्तभूमि पर कोई कृषिकार्य नही होरहा है,बल्कि महाविद्यालय के प्रयोग में आरहा है। उक्तभूमि मे मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, कुक्कुटपालन आदिकार्य नही होरहा है। अतः शान्ती जनचेतना समिति ग्राम वांगुरी तहसील फतेहाबादजिलाआगरा अध्यक्षभानुप्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह नि0वांगुरी व राजेश कुमार ,यजुवेन्द्र सिंह पुत्रगण भानुप्रताप सिंह निवासीगण वांगुरी तहसील फतेहाबाद जिलाआगरा की मौजा वाकलपुर तहसीलफतेहाबाद जिला आगरा के खाता संख्या 69 के गाटा संख्या150 रकवा 2.060हे0भूमि को धारा 143ज0वि0एवंभू0व्य0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कियाजाता है। तथा लगान मुक्त कियाजाता है। इस आदेशकी एक प्रति उप निबन्धक फतेहाबाद जिलाआगरा को भेजी जाय।

(हस्ताक्षर)

राजस्व अभिलेखागार
अनुभाग
कलक्ट्रेट, आगरा

10/2

तदनुसार परवाना अमलदरामदजारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाहीपत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

{आर0एन0शर्मा}
उपजिलाधिकारी फ़तेहाबाद
आगरा

दिनांक 17-2-11

द0 बतल तैयार कर्ता
द0 मिलान कर्ता

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल कलैक्टेट
आगरा
15-2-16

... का नाम... वी०पी० गुप्ता एड०
प्राप्ति का दिनांक... 13-2-16
प्रार्थना पत्र की संख्या... 5394
तैयारी का दिनांक... 15-2-16
... 12 ...
शब्द... 300 लगभग...
उद्देश्य निरीक्षण हेतु
... का दिनांक... 15/2/11